भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1669

दिनांक 04 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

पीएमकेएसवाई (एआईबीपी) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण

1669. श्री बंशीलाल गुर्जर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 10 परियोजनाओं के माध्यम से 5 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया है;

(ख) इस योजना में संजय सरोवर सिंचाई परियोजना (सिवनी/बालाघाट) को शामिल करने के संबंध में सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर अनुमोदन कब तक प्रदान किया जाएगा; और

(ग) एआईबीपी योजना के अंतर्गत राज्य को अब तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): मध्य प्रदेश राज्य में 21 वृहत् एवं मध्यम परियोजनाओं (14 परियोजनाएं और उनके 07 चरण) को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से, 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में 8.17 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। अप्रैल, 2016 से, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत मध्य प्रदेश की इन परियोजनाओं के लिए 796.77 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत संजय सरोवर परियोजना के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण को शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्कीम के अंतर्गत परियोजना को शामिल किया जाना प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड द्वारा परियोजना के सफल मूल्यांकन और उसके बाद भारत सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करता है।
